Increased Fee For Animal Fairs

***1105** **SMT. KIRAN CHAUDHARY, M.L.A.** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that the entry fee for animal fairs in the State has been increased by the Government from Rs. 10/- to Rs. 1000/- and 4% tax has also been imposed on the sale/purchase of the animals therein; if so, the reasons thereof; and

b) Whether it is also a fact that private players have been allowed by the Government to organize animal fairs in the State?

DUSHYANT CHAUTALA — DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

Sir,

a) In order to increase sources of finance for Panchayati Raj Institutions and to make organization of cattle fairs financially viable, following provisions were made in rule 3 of the Haryana Cattle Fairs Rules, 1970, vide notification dated 29.06.2018:-

   (i) Every person entering a Cattle fair shall get himself registered at the entry gate on payment of rupees ten only.

   (ii) Every person selling cattle at cattle fair shall obtain a registration certificate in respect of such cattle on payment of one hundred rupees per cattle.

   (iii) The sale certificate shall be issued on payment of a fee at the rate of four percent of the sale price or one thousand rupees, whichever is higher, for big animals, namely, cow, buffalo, camel, donkey, horse and mule of an age of above twenty four months and at the rate of four percent of the sale price or three hundred rupees, whichever is higher, for small animals, namely, sheep, goat and young-ones of cow, buffalo, camel, donkey, horse and mule of an age of not less than six months and not more than twenty four months by purchaser and seller in the ratio of seventy five present and twenty five present respectively. No fee shall be charged for the young ones of animals of an age of less than six months sold with said big or small animal.

b) As per provision under section 4A of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970, the Government may frame a scheme for organizing and managing the cattle fairs through an agency on such terms and condition as may be prescribed. Accordingly, State Government has formulated a scheme to organize cattle fairs through an agency to be selected by way of e-auction.

पशु मेलों के लिए बढ़ा हुआ शुल्क

***1105 श्रीमती किरण चौधरी, एम0एल0ए0** : क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा राज्य में पशु मेलों के लिए प्रवेश शुल्क में रु. 10/– से रु. इसमें पशुओं की बिक्री/खरीद पर 1000/– और 4 प्रतिशत कर भी लगाया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने निजी व्यक्तियों को राज्य में पशु मेले आयोजित करने की अनुमति दी है?

दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

महोदय,

क) पंचायती राज संस्थाओं के वितिय साधन के स्रोतों को बढ़ाने और पशु मेलों के आयोजन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 के नियम 3 में अधिसूचना दिनांक 29.06.2018 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैः –

(i) पशु मेले में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल दस रुपये के भुगतान पर प्रवेश द्वार पर अपना पंजीकरण करवाएगा।

(ii) पशु मेले में पशु विक्रय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे पशु के संबंध में एक सौ रुपये के भुगतान पर प्रमाण पत्र लेखक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(iii) पशु मेले पशु विक्रय अथवा क्रय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विक्रय संव्यहार के संबंध में प्रमाण पत्र लेखक को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा, जो उसे आयु में 24 मास से बड़े पशुओं जैसे–गाय, भैंस, ऊंट, गधा, घोड़ा और खच्चर के लिए बिक्री मूल्य के चार प्रतिशत की दर पर या एक हजार रुपये, जो भी अधिक हो, तथा छोटे पशुओं अर्थात् भेड़, बकरी और गाय, भैंस, ऊंट, गधा, घोड़ा तथा खच्चर के बच्चों, जो छह महीने से कम 24 महिने की उम्र से कम के न हों, के लिए विक्रय मूल्य के 4 प्रतिशत की दर पर या तीन सौ रूपये, जो भी अधिक हो, क्रेता तथा विक्रेता द्वारा क्रमशः 75 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत के अनुपात में फीस का भुगतान करने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। उक्त बड़े पशुओं के साथ विक्रय किए गए उनके बच्चे अथवा छोटे पशुओं, जिनकी आयु महीने से कम हो के लिए कोई फीस प्रभारित नही की जाएगी।

ख) हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 की धारा 4ए के प्रावधान के अनुसार, सरकार निर्धारित नियमों और शर्तों पर एक एजेंसी के माध्यम से पशु मेलों के आयोजन और प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार कर सकती है। तदनुसार, राज्य सरकार ने ई–नीलामी के माध्यम से चयनित होने वाली एजेंसी के माध्यम से पशु मेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया था।